FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत........................ मुकाम........................

हुकमाराम वगैरा बनाम भंवरदान वगैरा

किस्म मुकदमा 31/12/2020 रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 386/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रसाद ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/02/21	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल सन्तव तामिल अप्राप्त / पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/04/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा [illegible] शामिल पत्रावली विप्रार्थी [illegible] बावजूद तामिल अनुपस्थित [illegible] पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

24/06/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 25/10/21 को पेश हो।

25/10/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 30/11/21 को पेश हो।

30/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 हेतु ग्राम पंचायत डोभरिया में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेढा सेढ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माढे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशनो करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशनो आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशनो आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशनो आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं या किसी [illegible] निरीक्षक से प्रार्थी के खेतों [illegible] पैमाइशनो करवाकर कमिश्नर रिपोर्ट जमाबंदी [illegible] पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली बाद तामील सुधार हो, दर्ज रजिस्टर से ड्रप हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1376 दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. हुकमाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 9
जाति जाट, निवासी जसनाथपुरा
पटवार मण्डल परेउ
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. भंवरदान पुत्र कल्याणदान वगैरा 57
जाति जाट , नि. लापुन्दड़ा बारठान
पटवार मण्डल परेउ
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 386 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –जसनाथपुरा, पटवार मण्डल –परेउ, तहसील –गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 870 रकबा 95.16 बीघा व मौजा – पीराणी साइंयों की ढाणी, पटवार मण्डल – परेउ तहसील– गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत ख. नं. 707 व 873 रकबा क्रमशः 85.05 बीघा, 48.12 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1377–81 दिनांकः– 30/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार गिड़ा
2 पटवारी हल्का परेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 9
4 विप्रार्थी श्री भंवरदान पुत्र कल्याणदान वगैरा 57
5 पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:40 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बायतु